कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड, शारदा नहर,
लखनऊ।

पत्रांक— 3427 /लखशान/ दिनांक - 07/07 - 2011

विषयः— लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विन्यास मानचित्र पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक— 698 / EE/HTIG / 2011 दिनांक 29.06.2011

अधिशासी अभियन्ता (हाई / इंटी.सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने प्रश्नगत विषय पर आपत्ति/अनापत्ति चाही है।

विषयगत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विन्यास मानचित्र पर अनापत्ति इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि उपरोक्त प्रस्तावित टाउनशिप गोमती नदी के किनारे स्थित होने के कारण, टाउनशिप पर निर्माण कार्य, प्रश्नगत क्षेत्र को गोमती नदी की बाढ से सुरक्षा सुनिश्चित होने के पश्चात् अर्थात बाढ़ सुरक्षा हेतु केन्द्रीय जलायोग भारत सरकार के मानकों के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृत तटबन्ध के निर्माण के पश्चात् ही कराया जाए। साथ ही अवगतनीय है कि पत्र के साथ संलग्न विन्याश मानचित्र की जो छायाप्रति उपलब्ध करायी गई है, वह सजरा शीट पर न होने के कारण तथा उपलब्ध मानचित्र पर विस्तृत सूचना अंकित न होने के कारण विन्याश मानचित्र का परीक्षण भू–स्वामित्व के दृष्टिकोण से किया जाना सम्भवन नहीं है।

अतः विन्याश मानचित्र का विस्तृत परीक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा इसदृष्टिकोण से भी कर लिया जाए कि प्रस्तावित टाउनशिप में विभागीय भूमि/नदी/नाले की भूमि पर कोई संरचना प्रस्तावित तो नहीं की गई है।

(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक— /लखशान/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2— सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3— मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4— नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5— सहायक अभियन्ता पंचम, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ।

(राकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता